

वन क्षेत्रों में खनजि अन्वेषण के लिये छूट

स्रोत: IE

चर्चा में क्यों?

वन सलाहकार समिति (FAC) ने कोयला और खान मंत्रालयों के अनुरोधों के बाद वन क्षेत्रों में खनजि अन्वेषण ड्रलिंग के लिये बढ़ी हुई छूट को मंजूरी प्रदान की है।

- अन्वेषणात्मक ड्रलिंग के लिये ये छूटें वर्ष 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में 2023 के संशोधन के माध्यम से लागू की गई थीं।

वन भूमि पर खनजि अन्वेषण ड्रलिंग के लिये छूट क्यों प्रदान की गई है?

- **बोरहोल की सीमा और महत्त्वपूर्ण खनजि के लिये पर्यायः** पर्यावरण मंत्रालय अब खनजि अन्वेषण के लिये प्रति 10 वर्ग किलोमीटर में 62 से 80 बोरहोल की अनुमति प्रदान करता है, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 6 इंच तक हो सकता है।
 - पहले के नियमों के अनुसार प्रति 10 वर्ग किलोमीटर में केवल 25 बोरहोल, 80 शॉट होल और 100 पेड़ों तक की कटाई की अनुमति थी, जिसके लिये वन मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी।
 - इस वसति का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण लथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे महत्त्वपूर्ण खनजि का दोहन करना है।
- **व्यापार करने में आसानी:** अस्थायी अन्वेषण के लिये बार-बार केंद्रीय मंजूरी से होने वाली देरी को कम करता है।
- **नजि क्षेत्र की भागीदारी:** खनजि अन्वेषण में अधिक निवेश और भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- **आर्थिक विकास सहायता:** खनजि बुनियादी ढाँचे, वनरिमाण, रक्षा और हरति प्रौद्योगिकियों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
 - इससे परियोजना का तीव्र विकास, लागत दक्षता और अधिक निवेश प्रवाह संभव होता है।

वन क्षेत्रों में खनजि अन्वेषण ड्रलिंग में वृद्धि से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- **पर्यावरणीय और पारस्थितिक चिंताएँ:**
 - ड्रलिंग गतिविधियों में वृद्धि से व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न हो सकता है।
 - सुरक्षा उपार्यों के बावजूद यह वनस्पतियों और जीवों पर संभावित प्रभाव डाल सकता है।
 - वनों की हानि के कारण स्थानीय और क्षेत्रीय वर्षा पैटर्न प्रभावित हो सकते हैं।
- **स्थानीय समुदाय और जनजातीय अधिकार:**
 - वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के तहत पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों से संभावित टकराव।
 - धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्रों की सुरक्षा।
 - वनों पर निर्भर समुदायों और उनके पारंपरिक व्यवसायों पर प्रभाव।
- **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (FCA) की समीक्षा:**
 - पहले FCA के अंतर्गत वन भूमि पर किसी भी गतिविधि के लिये, जो सीधे वन संरक्षण से संबंधित न हो, केंद्रीय सरकार का प्रमाणन आवश्यक था।
 - खनजि अन्वेषण को "वन गतिविधि" के रूप में पुनः वर्गीकृत किये जाने में कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

महत्त्वपूर्ण खनजि

- **महत्त्वपूर्ण खनजि** वे खनजि हैं, जो किसी राष्ट्र की **आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा** के लिये अनिवार्य हैं और जिनकी सीमिति उपलब्धता या किसी विशेष क्षेत्र में भंडार/खनन की एकाग्रता आपूर्ति शृंखला में संवेदनशीलताएँ उत्पन्न करती हैं।
- **भारत की स्थिति: 30 महत्त्वपूर्ण खनजि** (जैसे बस्मिथ, कोबाल्ट, ताँबा, दुर्लभ मृदा तत्त्व, सलिकॉन, टनि, टाइटेनियम) की सूची जारी की गई है।
 - भारत अधिकांश महत्त्वपूर्ण खनजि के लिये **आयात पर अत्यधिक निर्भर** है।
- **महत्त्वपूर्ण खनजि का महत्त्व:**

- पर्यावरण एवं ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (सौर पैनल, वडि टर्बाइन, सेमीकंडक्टर) के लिये महत्त्वपूर्ण।
 - बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) में आवश्यक।
- राष्ट्रीय सुरक्षा: रक्षा क्षेत्र - मिसाइल प्रणालियों, एयरोस्पेस, संचार प्रौद्योगिकियों के लिये महत्त्वपूर्ण।
- आर्थिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स: लथियम-आयन बैटरियों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिये महत्त्वपूर्ण।
 - सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, संचार उपकरणों के लिये आवश्यक।

महत्त्वपूर्ण खनजियों के लिये भारत की पहल:

- नीति और नियामक ढाँचा: राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनजि मशिन (NCMM) का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 1,200 भंडारों की पहचान करना है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये महत्त्वपूर्ण लथियम, कोबाल्ट और अन्य महत्त्वपूर्ण खनजियों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।
 - खान और खनजि (विकास और वनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023: महत्त्वपूर्ण खनजियों के अन्वेषण और खनन को सक्षम बनाता है।
 - राष्ट्रीय खनजि नीति, 2019: सतत खनन और अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - केंद्रीय बजट 2024-25: अधिकांश महत्त्वपूर्ण खनजियों पर सीमा शुल्क हटा दिया गया।
- अन्वेषण और घरेलू उत्पादन:
 - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI): लथियम, रेयर अर्थ तथा अन्य महत्त्वपूर्ण खनजियों के लिये व्यापक सर्वेक्षण कर रहा है।
 - लथियम की खोज (2023): जम्मू और कश्मीर के रियासी में प्रमुख भंडारों की पहचान की गई।
 - सामरिक खनजि भंडार: लथियम, कोबाल्ट और अन्य के लिये भंडार बनाने की योजना।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं व्यापार समझौते:
 - खनजि बदिश इंडिया लिमिटेड (KABIL), 2019: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आदि के साथ वदिशी खनजि परसिंपत्तियों की साझेदारी सुनिश्चित करने के लिये खान मंत्रालय के अंतर्गत संयुक्त उद्यम।
 - खनजि सुरक्षा साझेदारी (MSP): भारत महत्त्वपूर्ण खनजियों के लिये वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने के लिये वर्ष 2023 में अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल में शामिल हो गया।

वनों में खनजि अन्वेषण हेतु स्थायी रोडमैप क्या होना चाहिये?

- सतत अन्वेषण प्रथाएँ: भूभौतिकीय सर्वेक्षण, उपग्रह चित्र, रिमोट सेंसिंग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित खनजि पूर्वानुमान प्रणाली और ड्रोन-आधारित मानचित्रण तकनीकों जैसी गैर-आक्रामक तकनीकों को प्रोत्साहित करना।
 - वदियुत चालित ड्रलिंग के उपयोग को कम करके पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना।
- पर्यावरणीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना: कठोर मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SoPs) स्थापित करना, जैसे - आर्द्रभूमि पारितंत्र, प्रजनन क्षेत्र या संवेदनशील पारितंत्रों में ड्रलिंग न करना।
 - समय-वशिष्ट प्रतर्बिध लागू करना (घोंसले बनाने या प्रजनन काल के दौरान ड्रलिंग न करना)।
- क्लस्टर माइनिंग दृष्टिकोण:
 - संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिये क्लस्टर माइनिंग पहलों को अपनाना, जिनमें एकाधिक इकाइयों हेतु साझा पर्यावरण-अनुकूल संरचनाएँ शामिल हों।
 - पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों जैसे कंक्रेटिंग सिस्टम्स (संवहन प्रणालियाँ), बकेट स्टीयरिंग खुदाई मशीनें और संगठित लैंडफिल प्रबंधन (व्यवस्थित कचरा भराव नयितरण)।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?????????:

प्रश्न 1. भारत में गौण खनजि के प्रबंधन के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2019)

1. इस देश में वदियमान वधि के अनुसार रेत एक 'गौण खनजि' है।
2. गौण खनजियों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, कति गौण खनजियों को प्रदान करने से संबंधित नयिमों को बनाने के बारे में शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं।
3. गौण खनजियों के अवैध खनन को रोकने के लिये नयिम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न 2. भारत में 'ज़िला खनजि प्रतष्ठान (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फ़ाउंडेशन)' का/के उद्देश्य क्या है/हैं?(2016)

खनजि-संपन्न ज़िलों में खनजि-खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना खनजि-कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना राज्य सरकारों को खनजि-खोज के लिये लाइसेंस नरिगत करने के लिये अधिकृत करना नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

??????

प्रश्न 1. गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। वविचना कीजिये। (2021)

प्रश्न 2. "प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद, कोयला खनन विकास के लिये अभी भी अपरहार्य है।" वविचना कीजिये। (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/exemptions-for-mineral-exploration-in-forests>